FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0079 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/05/2024 15:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2015 **Date To (दिनांक तक):** 17/08/2015

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/05/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/05/2024 15:36:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 7 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** ALBART HALL AND JANTAR MANTAR, JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAGHUVEER SHARAN

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 24/07/1979 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	A 43, MHARANA PRTAP NAGAR, JAIPUR, JAIPUR, JAWAHAR NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	A 43, MHARANA PRTAP NAGAR, JAIPUR, JAIPUR, JAWAHAR NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)), JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9829223391

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANISH MATHUR		पिता:BALKIRSHAN MATHUR	1. C-81 AMAR BHAVAN,SHYAM MARG,SHASTRI NAGAR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
2	SANDEEP AREN		पिता:MUKUND LAL AGRWAL	1. 380 A FIRST FLOOR,NEW SANGANER ROAD SODHALA,DEVI NAGAR,JAIPUR
3	ANIL KUMAR SHARMA		पिता:MAHESH KUMAR SHARMA	1. 3969,LANGAR KE BALAJI KA MANDIR,GANGORI BAZAR,JAIPUR CITY (NORTH),

				RAJASTHAN,INDIA
4	KIRSHAN GOPAL		पिता:GULJI	1. D 250,AJMER ROAD JAIPUR,GAJDAMBA NAGAR,BACKE SIDE OF HEERAPURA,POWER HOUSE,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,06,37,710.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 1,06,37,710.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.07.2015 को प्रकाशित खबर कि " टिकिटों में हेराफेरी, 50 लाख रूपये का घोटाला " से जानकारी में आया कि पुरातत्व विभाग के जयपुर शहर में स्थित पांच स्मारकों आमेर, जन्तर-मन्तर, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ एवं हवामहल में पर्यटकों हेतु लगी हुयी टिकिट मशीन से काटी जानी वाली टिकिटों में टिकिट मशीन की प्रोग्रामिंग में गड़बड़ कर सम्बन्धित कर्मचारी एवं अधिकारीगणों द्वारा आपसी मिली-भगत कर टिकिट राशि में लाखों रूपये का गबन किया जा रहा है। उपरोक्त सूचना पर सूत्र सूचना नं. 10/2015 दर्ज की जाकर खबर का गोपनीय सत्यापन किया जाने पर यह भी जानकारी में आया कि निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उक्त टिकिट मशीनों में गड़बड़ी की जाकर राजस्व अनियमितताओं के सम्बन्ध में चार विभागीय समितियों का गठन किया जाकर जांच करवाई गयी है, जिसमे भी लाखों रूपये का घोटाला किया जाना उजागर हुआ है। इस सम्बन्ध में निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर से सम्पर्क किया जाकर जांच समितियां गठित किये जाने एवं उनके द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में की गई जांच रिपोर्टे प्राप्त की गई। निदेशालय से प्राप्त जांच रिपोर्टों के अध्ययन से पाया गया कि जंतर-मंतर पर लगी टिकिट मशीन पर काटी गई टिकिटों के सम्बन्ध में जांच समिति द्वारा दिनांक 15.07.2014 से 15.07.2015 तक की अवधि तक प्रत्येक दिवस कों स्लिप (उस दिनांक का पर्यटकों की संख्या एवं राशि का गौश्वारा) में बतायी गई राशि एवं टिकिट रॉल की कार्यालय प्रति का योग करने पर अन्तर पाया गया। उदाहरण के तौर पर दिनांक 30.08.2014 कों स्लिप में अंकित राशि 35,620/रूपये है, जबकि कार्यालय प्रति का योग करने पर यह राशि 67,365/रूपये होना चाहिए था, इस प्रकार इस दिनांक को रूपये 31,705/का अन्तर पाया गया। दिनांक 15 जुलाई 2014 से 23 अक्टुबर 2014 तक राजस्व की हानि होने की जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि मशीन से बुकिंग समाप्त किये जाने के पश्चात् जारी किये जाने वार्ली स्लिप में हेरा-फेरी कर उस दिनांक को विक्रय किये गये समस्त मशीन टिकिटों के योग के स्थान पर कम धनराशि का अंकन किया जाता रहा व शेष धनराशि का अपहरण किया जाता रहा। यह कार्य मशीन की तकनीकी व मशीन की प्रोग्रामिंग सिस्टम में छेड़खानी करके किया गया। यह कृत्य बुकिंग पर बैठकर टिकिट काटने वाले कर्मचारियों द्वारा किया गया है। उक्त अवधि में कुल राशि 67,40,380/रूपये का अपहरण किया गया है। इसी प्रकार छपे हुये टिकटों की काउन्टर फाईल जो दिनांक 1.4.2012 से 14.7.2014 तक उपयोग में ली गई के सम्बन्ध में जांच समिति को उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड को जांचने पर पाया कि कुछ काउन्टर फाईल 2-2,3-3, 5-5 प्रतियों में समान सीरिज नम्बर व बिना सीरिज नम्बर के पायी गई, जिनका मूल्यवार सूची तैयार की गई जो 6,97,500/रूपये की है। यह टिकिटों की काउन्टर फाईल कम्पोजिट टिकिट है, इन पर अधिकारी द्वारा कोई प्रमाणिकरण का प्रमाण पत्र लगा हुआ नहीं है। टिकिटों पर विक्रय का दिनांक अंकित नहीं है।

टिकिटों का स्टॉक रजिस्ट्रर में भी अनियमितता पायी गई। उदाहरण के तौर पर निदेशालय द्वारा पत्र क्रमांकः-12427 दिनांक 8.11.2013 से जारी की गई टिकिटों को जन्तर-मन्तर के स्टॉक रजिस्ट्रर के पैज नं. 136 पर दिनांक 12.10.2013 को प्राप्त करने का इन्द्राज किया हुआ है। इसी प्रकार क्रमांकः-12186 दिनांक 28.10.2013 द्वारा भेजी गई टिकिट जन्तर-मन्तर के स्टॉक रजिस्ट्रर के पेज नं. 133 पर दिनांक 25.10.2013 को इन्द्राज किया हुआ है। समिति द्वारा बुकिंग मशीन की प्रोग्रामिंग में फेर-बदल कर श्री मनीष माथुर,वरिष्ठ लिपिक, श्री संदीप ऐरन, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री कृष्ण गोपाल, चुतर्थ श्रेणी कर्मचारी को जिम्मेदार मानते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ था कि श्री मनीष माथुर,वरिष्ठ लिपिक, श्री संदीप ऐरन, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री कृष्ण गोपाल, चुतर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा बुकिंग मशीन की प्रोग्रामिंग में फेरबदल कर एक विशेष श्रेणी के टिकिट क्रमांक की राशि का योग जेड-1 स्लिप में नहीं जोडा़ गया है, जिससे स्वयं ने 67,40,380/रूपये का लाभ अर्जित किया एवं राज्य सरकार को इतनी राशि की आर्थिक हानि कारित की गई तथा छपे हुये टिकिटों की काउन्टर फाईल जो दिनांक 1.4.2012 से 14.7.2014 तक उपयोग में ली गई के सम्बन्ध में काउन्टर फाईल 2-2,3-3, 5-5 प्रतियों में समान सीरिज नम्बर व बिना सीरिज नम्बर के फर्जी तरीके से टिकिट बनाकर आने वाले पर्यटकों को असली टिकिट मानकर वितरण किये जाकर कुल 6,97,500/रूपये की आर्थिक हानि राज्य सरकार को पहुंचाई एवं स्वयं को इतनी ही राशि का लाभ पहुंचाया। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि एक ही दिन में कई बार टिकिटों का सीरियल नम्बर बदला गया है। सूत्र सूचना सत्यापन के दौरान जांच समिति के सदस्यों के बयान लिये गये तो सभी ने जांच रिपोर्ट की ताईद करते हुये टिकिट मशीनों पर लगे कर्मचारियों द्वारा आपसी मिली-भगत कर दिनांक 15.07.2014 से 15.07.2015 तक की अवधि में कुल 67,40,380/रूपये की राशि स्वयं के लिये श्री संदीप ऐरन, कनिष्ठ, श्री मनीष माथुर, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री कृष्ण गोपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय अधीक्षक से मिली-भगत कर अर्जित किया जाना पाया गया है। इसके अतिरिक्त श्री संदीप ऐरन, कनिष्ठ, श्री मनीष माथुर, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री कृष्ण गोपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केन्द्रीय संग्रहालय जन्तर-मन्तर, जयपुर द्वारा टिकिट मशीन में काम में आने वाली सुरक्षा की दृष्टि से कम्पनी द्वारा दी जाने वाली चाबी अपने पास रखकर टिकिट काटने वाली मशीन में निर्धारित प्रोग्राम (सैटिंग) में फेर-बदल कर अपने पदीय कर्त्तव्यों का दुरूपयोग करते हुये टिकिटों से होने वाली आय का आपस में षडयन्त्रपूर्वक मिली-भगत कर स्वयं को लाभ पहुंचाया है एवं राज्य सरकार को हानि पहुंचाई है। निदेशालय से प्राप्त जांच रिपोर्टों के अध्ययन से पाया गया कि अल्बर्ट हॉल पर लगी टिकिट मशीन पर काटी गई टिकटों के सम्बन्ध में जांच समिति द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 31.07.2015 तक की अवधि की जांच में पाया कि उक्त अवधि में टिकिट मशीन से टिकिट जारी करने के बाद प्रतिदिन मशीन से प्राप्त .1 (प्रतिदिन प्राप्त होने वाली टिकिटों की राशि का इकजाई स्टेटमेन्ट) में उल्लेखित राशि का मिलान में छपे हुये काउन्टर रोल (कार्यालय प्रति) से किया गया Z -.1 प्रपत्र एवं काउन्टर रोल में छपे टिकिटों की राशि में काफी बड़ी मात्रा में अन्तर पाया गया। उक्त प्रकार से प्रतिमाह के हिसाब Z- .1 प्रपत्र व काउन्टर रोल का मिलान किया गया। उक्त मिलान 1 नवम्बर 2014 से 31 जुलाई 2015 तक कटी टिकिटों का किया गया। जांच Z- .1 प्रपत्र एवं काउन्टर रोल में क्रमशः माह नवम्बर 2014 में राशि 2,26,235/-रूपये, माह दिसम्बर 2014 में राशि 8,53,585/-रूपये, माह जनवरी 2015 में 7,93,995/-रूपये, फरवरी 5,47,070/-रूपये, मार्च में 4,54,910/-रूपये, अप्रेल में 2,70,220/-रूपये, एवं मई 2015 में 53,815/-रूपये कुल राशि 31,99,830/रूपये का अन्तर पाया गया। समिति द्वारा बुकिंग मशीन की प्रोग्रामिंग में फेर-बदल कर श्री मनीष माथुर,वरिष्ठ लिपिक एवं श्री कृष्ण गोपाल, चुतर्थ श्रेणी कर्मचारी को जिम्मेदार मानते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ था कि श्री मनीष माथुर,वरिष्ठ लिपिक एवं श्री कृष्ण गोपाल, चुतर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा बुकिंग मशीन की प्रोग्रामिंग में फेरबदल कर एक विशेष श्रेणी के टिकिट क्रमांक की राशि का योग जेड-1 स्लिप में नहीं जोड़ा गया था। उदाहरण के लिये टिकिट क्रमांकः-002-001-000161-0001-19.12.2014-1109 की श्रेणी के सभी टिकिटो की राशि का योग Z-1 की स्लिप में आ रहा है, किन्तु टिकिट क्रमांक 002-010-000161-0001-19.12.2014-1110 की श्रेणी के टिकिटो की राशि का योग जेड-1 स्लिप में नहीं जोड़ा गया है। उक्त टिकिटों दिनांक 19.12.2014 को 1109 बजे से लेकर 1243 बजे तक जारी टिकिटो में 002-010-000161-0001- 19.12.2014-1110 से 002-010-000325-0001-19.12.2014-1241 तक की एक ही श्रेणी के टिकिट की राशि का योग जेड-1 की स्लिप में नहीं पाया गया। जबकि उक्त टिकिट के बाद पुरानी टिकिट क्रमांकः- 002-001-000161-0001-19.12.2014-1109 के बाद टिकिट क्रमांकः-002- 001-000162-0001-19.12.2014-1243 पर काटी गई एक ही श्रेणी की टिकिट का योग जेड-1 स्लिप में जोड़ा गया है। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि एक ही दिन में कई बार टिकिट का सीरियल नम्बर बदला गया है। इसी प्रकार सूत्र सूचना के सत्यापन के दौरान उक्त टिकट मशीनों यूनीवेल डीएक्स-795 की सप्लाई करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ श्री अनिल कुमार त्यागी, प्रबन्धक निदेशक, शिंवागी इन्टर प्राईजेज प्रा0 लि0 1/5, व्हाईट हाऊस, प्रथम मंजिल, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92 से जांच के दौरान बताया कि प्रत्येक मशीन में सुरक्षा की दृष्टि से तीन चाबियां लगती है, जिनका अलग-अलग कार्य होता है। एक नम्बर चाबी जिसको ''एस'' (सुपरवाईजर) के नाम से पुकारा जाता है, जो मशीन को ऑपरेट करने वाले के पास रहती है तथा दूसरे नम्बर की चाबी जिसको ''जेड' (रिपोर्ट जीरो करने के लिये) के नाम से जानी जाती है, जो प्रतिदिन कार्य समाप्ति के पश्चात् केश आदि रिपोर्ट लेने के कार्य में आती है। इस चाबी से सुपरवाईजर(अधीक्षक) स्तर का अधिकारी मशीन की कैश

सम्बन्धित रिपोर्ट प्रतिदिन लेता है। तीसरे नम्बर की चाबी जिसको ''पी (मास्टर) चाबी के नाम से जाना जाता है, जो केन्द्राधीक्षक के पास सुरक्षित रहने के लिये है, इस चाबी का मशीन के लिये काफी अहम कार्य है, जिसकी सहायता से केन्द्राधीक्षक मशीन के सभी कार्य कर सकता है। यह चाबी मास्टर चाबी की तरह काम करती है। इस चाबी से मशीन का प्रोग्रामिंग से लेकर सारे सुरक्षित प्रोग्राम किये जा सकते है। सूत्र सूचना सत्यापन के दौरान जांच समिति के सदस्यों के बयान लिये गये तो सभी ने जांच रिपोर्ट की ताईद करते हुये अल्बर्ट हॉल पर टिकिट मशीनों पर लगे कर्मचारियों द्वारा आपसी मिली-भगत कर माह नवम्बर 2014 से माह जुलाई 2015 तक की अवधि में कुल 31,99,830/रूपये की राशि स्वयं के लिये श्री अनिल, कनिष्ठ लिपिक, श्री मनीष माथुर, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री कृष्ण गोपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय अधीक्षक से मिली-भगत कर अर्जित किया जाना पाया गया है। इसके अतिरिक्त श्री अनिल, कनिष्ठ लिपिक, श्री मनीष माथुर, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री कृष्ण गोपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, अल्बर्ट हॉल, जयपुर द्वारा टिकिट मशीन में काम में आने वाली सुरक्षा की दृष्टि से कम्पनी द्वारा दी जाने वाली चाबी अपने पास रखकर टिकिट काटने वाली मशीन में निर्धारित प्रोग्राम (सैटिंग) में फेर-बदल कर अपने पदीय कर्त्तव्यों का दुरूपयोग करते हुये टिकिटों से होने वाली आय का आपस में षडयन्त्रपूर्वक मिली-भगत कर स्वयं को लाभ पहुंचाया है एवं राज्य सरकार को हानि पहुंचाई है। सूत्र सूचना सत्यापन के दौरान प्राप्त रिकॉर्ड एवं मौखिक साक्ष्यों से पाया गया है कि आरोपीगण 1-श्री मनीष माथुर पुत्र स्व.श्री बालकृष्ण माथुर निवासी-सी-81,अमर भवन,श्याम मार्ग,शास्त्रीनगर जयपुर तत्कालीन लिपिक ग्रेड-1,(वरिष्ठ लिपिक) केन्द्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल,राजस्थान जयपुर 2- श्री संदीप ऐरन पुत्र स्व. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, निवासी-म.नं.-380 ए, प्रथम फ्लोर, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर 302019 तत्कालीन लिपिक ग्रेड-1,(वरिष्ठ लिपिक) केन्द्रीय संग्रहालय जन्तर मन्तर,राजस्थान जयपुर, (हाल राजकीय सेवा से पदच्युत) 3-श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा निवासी-म.नं. 3969,लंगर के बालाजी का मन्दिर,गणगौरी बाजार,जयपुर तत्कालीन लिपिक ग्रेड-द्वितीय,(वरिष्ठ सहायक) केन्द्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल,राजस्थान जयपुर, हाल अधीक्षक, राजकीय संग्रहालय, हवामहल, जयपुर4-श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री गुलजी निवासी-म.नं.-डी-250,जगदम्बा नगर,हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड़,जयपुर तत्कालीन चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी केन्द्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल,राजस्थान जयपुर के द्वारा अल्बर्ट हॉल एवं जन्तर मन्तर में पदस्थापित रहते हुये अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर 1,06,37,710/-रूपये की राशि का अपने स्वयं के लिये अर्जित कर सदोष लाभ कारित किया जाना पाया गया है एवं राज्य सरकार को उक्त राशि की हानि कारित किया जाना प्रथम दृष्टया जांच से साबित पाया गया है। इसलिए उक्त सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध जुर्म धारा धारा-13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की जाकर विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है। (रघुवीर शरण शर्मा) पुलिस निरीक्षक विशेष अनुसंधान इकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष अनुसंधान ईकाई, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोपीगण 1-श्री मनीष माथुर पुत्र स्व.श्री बालकृष्ण माथुर निवासी-सी-81,अमर भवन,श्याम मार्ग,शास्त्रीनगर जयपुर तत्कालीन लिपिक ग्रेड-1,(वरिष्ठ लिपिक) केन्द्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल,राजस्थान जयपुर 2- श्री संदीप ऐरन पुत्र स्व. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, निवासी-म.नं.-380 ए, प्रथम फ्लोर, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर 302019 तत्कालीन लिपिक ग्रेड-1,(वरिष्ठ लिपिक) केन्द्रीय संग्रहालय जन्तर मन्तर,राजस्थान जयपुर, (हाल राजकीय सेवा से पदच्युत) 3-श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा निवासी-म.नं. 3969,लंगर के बालाजी का मन्दिर,गणगौरी बाजार,जयपुर तत्कालीन लिपिक ग्रेड-द्वितीय,(वरिष्ठ सहायक) केन्द्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल,राजस्थान जयपुर, हाल अधीक्षक, राजकीय संग्रहालय, हवामहल, जयपुर 4-श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री गुलजी निवासी-म.नं.-डी-250,जगदम्बा नगर,हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड़,जयपुर तत्कालीन चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी केन्द्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल,राजस्थान जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सज्जन सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष अनुसंधान ईकाई, जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 195 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 391-94 दिनांक 13.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2 उप महानिरीक्षक पुलिस–मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3 निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Sajjan Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/05/2024 15:38:56

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	30/10/1979				
2	Male	29/08/1978				
3	Male	01/06/1986				
4	Male	13/08/1957				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)